न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 5/2024 रा.वा.

उनवान

1. श्री मेघु पुत्र स्व. कुबेरा डॉगी उम्र 55 वर्ष निवासी ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)।

–वादी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र घुलचन्द जैन उम्र बालिग।
2. श्री सोहनलाल पुत्र स्व. लीलाचन्दजी जैन उम्र बालिग।
3. श्री कमलेश पुत्र किशनलालजी सुथार उम्र बालिग।
4. श्री मगनलाल पुत्र कुरजी सुथार उम्र बालिग
5. श्री मोहनलाल पुत्र कुरजी सुथार उम्र बालिग।
6. श्री सनत कुमार पुत्र स्व. किशनलालजी सुथार उम्र बालिग।
   सभी निवासी ईन्टालीखेडा तह. सलूम्बर जिला–सलूम्बर
7. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तह. सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता वादी,
श्री वालुराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1 से 6 तक व
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलुम्बर उपस्थित

सहायक कलेक्टर सलूम्बर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांकः–**01/04/2024**

वादीगण के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि वादी ने जरिये रजि. विक्रय पत्र के वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा एवं पटवार हल्का ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 3022 रकबा 0.2100 हैक्टेयर पूरी भूमि व आराजी नम्बर 3020 रकबा 0.55 हैक्टेयर मे से मात्र 0.05 हैक्टेयर कृषि भूमि तारीख 31–01–2004 को प्रतिवादी नं. 2 दो सोहनलाल जैन प्रतिवादी नं. 1 एक दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादी नं. 5 पॉच मोहनलाल सुथार को 4000 रू. बराबर हिस्से से विक्रय कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया था। इस प्रकार से बेची गई भूमि कुल खेत 2 रकबा 0.21 है. + 0.05 = 0.2600 हे. थी। वाद पत्र की कम संख्या 1 एक में वर्णित भूमि का नामान्तरण 272 तारीख 20–3–2004 को क्रेता प्रतिवादी नं. 2 दो सोहनलाल जैन एवं प्रतिवादी नं. 1 एक दिनेश कुमार जैन व प्रतिवादी नं. 5 मोहनलाल सुथार का नाम ग्राम पंचायत ईंटालीखेडा ने सही स्वीकृत किया था एवं उक्त नामा. संख्या 272 पर दाखला लगाया कि आं. नं. 3020 की वादी की शेष भूमि 0.50 हेक्टर पोते है। उसके बाद प्रथम जमाबंदी लिखी उसमें वादी के नाम हाल आ.नं. 3020 मीन रकबा 0.50 हेक्टर वादी के खाते में अंकित रहना चाहिये था परन्तु पटवारी हल्का ने भूल से आ.नं. 3020 रकबा 0.55 हे. पूरा प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो एवं 5 पाँच के खेतों में दर्ज कर दी उक्त गलती आज तक

राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिसका सर्व प्रथम वादी को पता तारीख 1–1–2024 को पटवारी हल्का से हुई उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की नकले निकलवा कर यह घोषणा कराने खातेदारी हक पांती बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद वादी पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि –

1. कि मौजा ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर की आ.नं. 3020 रकबा 0.55 हे. में से 0.05 हे. कृषि भूमि अन्य आराजी 3022 के साथ प्रतिवादी नं. 1, 2 एवं 5 को तारीख 31–1–2004 को विक्रय की शेष भूमि 0.50 हे. का एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज वादी अकेला को घोषित फरमाया जावें।
2. कि उक्त आ.नं. 3020 रकबा 0.5500 हे. का माप एवं सीमाओं द्वारा विधिवत पांती बंटवाडा कराकर प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो एवं 5 पाँच के पक्के परकोटे के अन्दर 0.0500 हे. प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो एवं 5 पॉच के कब्जे खाते रखी जावे एवं शेष परकोटा के बाहर की भूमि रकबा 0.500 हे. का वादी अकेले के बंटवाडा के खाते में रखी जावे जो वादी के कब्जे में है।
3. कि आ.नं. 3020 रकबा 0.5500 हे. को वर्तमान में हाल खाता नं. 13 पुराना 513 रकबा 0.39 हेक्टर आ.नं. 3020 में भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक एवं 2 दो के खाते है एवं शेष भाग 0.16 हे. वर्तमान खाता नं. 380 पुराना खाता नं. 380 संवत् 2075 से 2078 की जमाबंदी में प्रतिवादी नं. 3 तीन से 6 छः तक के खाते दर्ज है। उक्त दोनो खाते अवैद्य एवं अप्रभावी घोषित फरमाया जावें।
4. कि माफिक घोषणा आ.नं. 3020 मीन रकबा 0.50 हे. का वादी अकेले के खाते दर्ज की जावे एवं आ.नं. 3020 मीन रकबा 0.05 हे. प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो एवं 5 पाँच के खाते की जावे।
5. कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादी के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरों, मजदूरों से करावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र की प्रति के साथ सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री वालुराम पटेल ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना वादी सही है। वादी मेघु पुत्र स्व. कुबेरा डॉगी निवासी ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर ने मौजा ईन्टालीखेडा की आनं. 3022 रकबा 0.21 हे. पूरी, आ.नं. 3020 रकबा 0.5500 हेक्टर में से मात्र 0.0500 हे. हम प्रतिवादी नं. 2 दो प्रतिवादी नं. 1 एक व प्रतिवादी नं. 5 पाँच को तारीख 31–01–2004 को विक्रय की थी परन्तु पंचायत ने ना.सं. 272 तारीख 20–3–2004 को इतनी भूमि का सही स्वीकृत किया था परन्तु पटवारी ने भूल से आ.नं. 3020 रकबा 0.55 है. पूरी हम प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दी जबकि आ.नं. 3020 मीन रकबा 0.05 हे. पर हमारा कब्जा है एवं हमने खरीदी है एवं आ.नं. 3020 का शेष रकबा 0.50 हे. पर वादी मेघु का आज तक कब्जा काश्त है इसलिये वादग्रस्त भूमि आ.नं. 3020 मीन 0.500 हे. वादी के खाते के खाते पुनः दर्ज होनी चाहिये। अतः प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र हुबहु डिक्री फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण मे राजीनामा पेश किया तथा पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा की गई जिसे आदेशिका दिनांक 18–03–2024 को तस्दीक कर रिकॉर्ड पर लिया गया। उभयपक्षकारन ने राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि–

1. कि वादी ने प्रतिवादी को मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 3022 रकबा 0.21 हैक्टेयर पूरी एवं आराजी नम्बर

यक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर मे से 0.0500 हैक्टेयर भूमि जरिये रजि. विक्रय पत्र के तारीख 31–01–2004 को प्रतिवादी नं. 1 एक दिनेश जैन, प्रतिवादी नं. 2 दो सोहनलाल जैन एवं प्रतिवादी नं. 3 तीन मोहनलाल सुथार को विक्रय की थी।

2. कि माफिक विक्रय पत्र ग्राम पंचायत ईण्टालीखेडा ने प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो व 3 तीन के नाम नामान्तरण नं. 272 तारीख 20–03–2004 को स्वीकृती किया था।
3. कि पटवारी हल्का ने भूल से वादी के खाते की आराजी नं. 3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर पूरी उक्त तीनो प्रतिवादीगण के खाते कर दी जिसकी वादी को जानकारी नही थी।
4. कि उक्त आराजी नम्बर 3020 मीन रकबा 0.5000 हैक्टेयर पर आज तक वादी काबिज है एवं इसी आराजी के मीन रकबा 0.0500 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण काबिज है एवं मौके पर आराज नम्बर 3022 रकबा 0.2100 है. पूरी + आराजी नम्बर 3020 मीन रकबा 0.0500 है. को मिलाते हुए प्रतिवादीगण ने कोट बनाकर आराजी नम्बर 3022 को आबादी कराकर मकान बना दिये है। वर्तमान मे वादी की भूमि 3020 मीन रकबा 0.5500 है. सभी प्रतिवादीगण के खाते है इसलिये पक्षकार बनाया है।
5. कि वादी ने जो भूमि प्रतिवादीगण नं. 1 एक, 2 दो व 3 तीन को नही बेची वह भूमि पुनः वादी के खाते कराने मे कानून मे कोई बाधा नही है। इसलिये यह राजीनामा पेश कर रहे है।

अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर मे से 0.5000 हैक्टेयर भूमि वादी अकेले के खाते की जावे एवं शेष 0.0500 हैक्टेयर भूमि सभी प्रतिवादीगण की घोषित कर यह वाद माफिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

राजीनामे पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान ने माफिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने प्रतिवादी को मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 3022 रकबा 0.21 हैक्टेयर पूरी एवं आराजी नम्बर 3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर मे से 0.0500 हैक्टेयर भूमि जरिये रजि. विक्रय पत्र के तारीख 31–01–2004 को प्रतिवादी नं. 1 एक दिनेश जैन, प्रतिवादी नं. 2 दो सोहनलाल जैन एवं प्रतिवादी नं. 3 तीन मोहनलाल सुथार को विक्रय की थी जिसकी पुष्ठी वादी द्वारा पेश दस्तावेजो से होती है। अतः माफिक राजीनामा वादी का यह वाद डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर आ.नं. 3020 रकबा 0.5500 हे. से बने वर्तमान में हाल खाता नं. 513 पुराना 513 रकबा 0.39 हेक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 3020 जो प्रतिवादी नं. 1 एक एवं 2 दो के खाते है एवं शेष भाग आराजी नम्बर 3020/1 रकबा 0.16 हे. वर्तमान खाता नं. 380 पुराना खाता नं. 380 संवत् 2075 से 2078 की जमाबंदी में प्रतिवादी नं. 3 तीन से 6 छः तक के खाते दर्ज है। उक्त दोनो खाते अवैध एवं अप्रभावी घोषित करते हुए मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर मे से 0.5000 हैक्टेयर

नायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये– श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

वाद संख्या–5 / 2024

उनवान–श्री मेघु बनाम श्री दिनेश

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर. टी. एक्ट.

भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.0500 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक को संयुक्तरूप से खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें एवं माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से बनाया जावे एवं डिक्री की पालना तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–04–2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), सलुम्बर
बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 5/2024 रा.वा.

उनवान

1. श्री मेघु पुत्र स्व. कुबेरा डॉगी उम्र 55 वर्ष निवासी ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)।

–वादी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र घुलचन्द जैन उम्र बालिग।
2. श्री सोहनलाल पुत्र स्व. लीलाचन्दजी जैन उम्र बालिग।
3. श्री कमलेश पुत्र किशनलालजी सुथार उम्र बालिग।
4. श्री मगनलाल पुत्र कुरजी सुथार उम्र बालिग
5. श्री मोहनलाल पुत्र कुरजी सुथार उम्र बालिग।
6. श्री सनत कुमार पुत्र स्व. किशनलालजी सुथार उम्र बालिग।
   सभी निवासी ईन्टालीखेडा तह. सलूम्बर जिला–सलूम्बर
7. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तह. सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक की ओर से अधिवक्ता श्री वालुराम पटेल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 01–04–2024 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि अतः मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर आ.नं. 3020 रकबा 0.5500 हे. से बने वर्तमान में हाल खाता नं. 513 पुराना 513 रकबा 0.39 हेक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 3020 जो प्रतिवादी नं. 1 एक एवं 2 दो के खाते है एवं शेष भाग आराजी नम्बर 3020/1 रकबा 0.16 हे. वर्तमान खाता नं. 380 पुराना खाता नं. 380 संवत् 2075 से 2078 की जमाबंदी में प्रतिवादी नं. 3 तीन से 6 छः तक के खाते दर्ज है। उक्त दोनो खाते अवैद्य एवं अप्रभावी घोषित करते हुए मौजा एवं पटवार हल्का ईण्टाली खेडा तहसील सलूम्बर की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3020 रकबा 0.5500 हैक्टेयर मे से 0.5000 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.0500 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक को संयुक्तरूप से खातेदार घोषित किया जाता है। माफिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे।

खर्चा मुकदमा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 01–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर

(पर्वत सिंह चूण्डावत, आरएएस)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सहायक कलक्टर,
जिला सलूम्बर
सलुम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर